बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल :bseapatna@gmail.com

संचिका संख्या-नि॰ प्रा॰/ले (विविध)॰-03-01/2020 967 /पटना, दिनांक: 05-5-2020

आदेश

बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 के नियम 21-फ (1) के तहत् विभिन्न सहकारी सहयोग समितियों के निर्वाचन के निमित्त, प्राधिकार द्वारा संबंधित निर्वाचन से जुड़े क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक इत्यादि के माध्यम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा RTGS के माध्यम से राशि प्राप्त की जाती है।

2. उक्त के संबंध में बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 का नियम 21-फ (1) प्रासंगिक है, जो निम्न प्रकार है- ''एक सहकारी सोसाईटी या सहकारी सोसाईटी के वर्ग या वर्गों में निर्वाचन कराने हेतु व्यय की राशि (संचालन पदाधिकारी) के द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के जरिये निश्चित की जायेगी और उसे सोसाईटी के द्वारा अपनी निधि से भुगतान किया जायेगा। परन्तु यह कि सोसाईटी की निधि में से निर्वाचन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन से संबंधित है, को यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।''

3. उक्त नियमावली के आलोक में विभिन्न सहकारी समितियों के निर्वाचन के निमित्त क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक के माध्यम से RTGS के माध्यम से ₹ 5000/- (पाँच हजार रूपये) प्रति मतदान केन्द्र की दर से प्राधिकार द्वारा निर्वाचन शुल्क प्राप्त किया जाता है।

4. पूर्व से कतिपय मामलों में सविरोध निर्वाचन की स्थिति में ₹ 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपये) एवं निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में ₹ 300/- (तीन सौ रूपये) संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को उनके द्वारा की गई माँग के आलोक में प्रतिपूर्ति की जाती रही है एवं जिन समितियों द्वारा निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में राशि वापस करने का अनुरोध किया जाता है, उन्हें राशि वापस की जाती है।

5. निर्विरोध निर्वाचन वाले मामले में पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के तहत प्राप्त निर्वाचन शुल्क में से ₹ 300/- (तीन सौ रूपये) की कटौती का तर्क यह रहा होगा कि निर्विरोध निर्वाचन में भी कतिपय व्यय यथा-मतदाता सूची का टंकण, स्टेशनरी का क्रय, पोस्टल खर्च इत्यादि पर व्यय होता है। उक्त व्यय कटौती करके निर्वाचन शुल्क समिति को वापस करने की व्यवस्था भी रही है, क्योंकि समिति अपनी पूँजी से निर्वाचन शुल्क जमा करती है। और जब निर्वाचन ही निर्विरोध हो गया तो निर्वाचन शुल्क वापसी (यथोचित कटौती के उपरांत) तर्कसंगत और समिति के हित में है।

6. कालक्रम में प्रत्येक समिति से प्रति मतदान केन्द्र ₹ 5000/- (पाँच हजार रूपये) की दर से राशि प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकार का यह निर्णय माननीय उच्च न्यायलय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या-13637/2019- नरेन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्य -बनाम- राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश द्वारा सम्पुष्ट भी हुआ।

7. सामान्यत: सहकारी समितियों में निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान ही प्राधिकार द्वारा प्रति मतदान केन्द्र अनुमानित व्यय का आकलन कर राशि आवंटित कर दी जाती है। परन्तु निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में सहकारी समिति को किस प्रकार और कितनी राशि वापस की जाय, इस विषय पर नीतिगत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। अत: सविरोध एवं निर्विरोध निर्वाचन के मामले में सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निर्णय संसूचित किए जा रहे हैं:-

(क) यदि किसी एक प्रखंड में एक साथ दस से कम सहकारी समितियों का सविरोध निर्वाचन हो रहा हो और समय कम हो तो निर्वाचन पदाधिकारी अपने कार्यालय के आकस्मिक निधि (Contingency fund) से निर्वाचन करायेंगे और निर्वाचन समाप्ति के उपरान्त प्रति मतदान केन्द्र ₹ 5000/- की अधिकतम सीमा के अन्दर ही व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से अनुरोध करेंगे। एक प्रखंड में एक साथ दस से ज्यादा सविरोध निर्वाचन की स्थिति उत्पन्न होने पर प्राधिकार को तत्काल सूचित कर जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के माध्यम से राशि की माँग की जायेगी। प्राधिकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप राशि आवंटित कर दी जायेगी।

(ख) प्राधिकार द्वारा यदि बड़ी संख्या में सहकारी समितियों का निर्वाचन कराया जा रहा हो तो प्राधिकार द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अनुमानित व्यय का आकलन करके CFMS के माध्यम से जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को राशि आवंटित की जाएगी।

(ग) जिला पदाधिकारी को प्राधिकार द्वारा प्रति मतदान केन्द्र की दर से प्रति मतदान केन्द्र का अनुमानित व्यय पर प्राधिकार के बजट शीर्ष से राशि आवंटित की जायेगी, जिसे जिला पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित को आवश्यकतानुसार राशि का उपावंटित करने हेतु अधिकृत होंगे।

(घ) उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि यदि सविरोध निर्वाचन होता है तो वे प्राप्त राशि का नियमानुकूल उपयोग करके जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(च) यदि निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न होता है तो निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन की तैयारी में हुये विभिन्न व्यय के एवज में प्रति समिति ₹ 1000/- की अधिकत्तम राशि रखकर शेष राशि संबंधित समिति के खाते में 15 दिनों के अन्दर वापस कर देंगे और इसकी लिखित सूचना समिति को देते हुये प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को भी देंगे। उक्त ₹ 1,000/- अथवा उससे कम व्यय की गयी राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी नियमानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

8. निर्विरोध निर्वाचन के कारण समिति द्वारा राशि वापसी के सभी लंबित अभ्यावेदनों का इसी सिद्धांत के तहत निपटारा किया जाएगा।

9. इसमें मुख्य चुनाव पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

05.5.20

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : नि० प्रा०/ले (विविध)०-03-01/2020 /पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), बिहार/ सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.5.20

संयुक्त सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक : नि॰ प्रा॰/ले (विविध)॰-03-01/2020 967 /पटना, दिनांक 05-5-2020

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स॰ स॰), बिहार/ सभी जि सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार् हेतु प्रेषित।

05.

संयुक्त सचि

ज्ञापांक : नि॰ प्रा॰/ले (विविध)॰-03-01/2020 967 /पटना, दिनांक 05-5-2020

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक, बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेरिव फेडरेशन लि॰ (कम्फेड), प निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क हेतु प्रेषित।

05

संयुक्त सचि

ज्ञापांक : नि॰ प्रा॰/ले (विविध)॰-03-01/2020 967 /पटना, दिनांक 05-5-202

प्रतिलिपि : सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05

संयुक्त सचि

ज्ञापांक : नि॰ प्रा॰/ले (विविध)॰-03-01/2020 967 /पटना, दिनांक 05-5-202

प्रतिलिपि : बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के सभी पदाधिकारियों/ कमिटी के सदस्यों/ प्रशाखा पदाधिकारी -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ लेखापाल, बिहार राज्य नि प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त स